कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 1494 /14–10 ,अलीगढः दिनांकः अक्टूबर, 14 2022

सेवा में,

जनरल मैनेजर,
साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0,
ऑफिस नं0 116, प्रथम तल,
लेवाना साइबर हाइटस,
इन्द्रा गांधी प्रतिष्ठान के पीछे,
बिभूति खण्ड, लखनऊ–226010।

विशयः– साउथ–ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिषन कम्पनी लि0 द्वारा 400 के0वी0 डबल सर्किट मैनपुरी–अलीगढ़ द्विपथ पारेशण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष पातन, अलीगढ़ में 1.8354 हे0 आरक्षित व 0.0276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन कुल 3. 177404 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/04–99/2016/एफ0सी0/497 दिनांक 14.09.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 1005/मैनपुरी–अलीगढ़ लाइन (समेकित)/13285/2015 दिनांक 16.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों के अनुपालन में इस वन प्रभाग, प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस के पत्रांक 1019/14–1 दिनांक 01.10.2022 **(संलग्नक–1)** एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के पत्रांक 755/14–1 दिनांक 12.10.2022 **(संलग्नक–2)** द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को निर्गत मांग पत्र में अंकित शर्तवार मांग की गयी धनराशि को समेकित कर, तैयार की गयी तालिका **(संलग्नक–3)** के अनुसार प्रेषित मांग के आधार पर निम्न प्रकार धनराशि कैम्पा मद जमा करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (3.177404X 2= 6.354808 है0) अर्थात् 6.354808 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (इस प्रभाग की दुगने अवनत वन भूमि अर्थात् **3.726 है0** भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण की धनराशि रू0– 26,99,400/–(रूपये– छब्बीस लाख न्यान्वे हजार चार सौ मात्र) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) **(प्रभागवार मांग की गयी धनराशि की संलग्न तालिका के अनुसार)** कैम्पा, नई दिल्ली में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाइन के नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0– 41,15,660/–(रूपये– इकतालीस लाख पंद्रह हजार छः सौ साठ मात्र) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) **(प्रभागवार मांग की गयी धनराशि की संलग्न तालिका के अनुसार)** कैम्पा, नई दिल्ली में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि (इस प्रभाग की एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 20,37,905/–(रूपये– बीस लाख सैंतीस हजार नौ सौ पांच मात्र) **(प्रभागवार मांग की गयी धनराशि की संलग्न तालिका के अनुसार)** कैम्पा, नई दिल्ली में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No.11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु सं0 C(ii) के अनुसार आगणित धनराशि रु0 8,15,162.00/– (रुपये– आठ लाख पंद्रह हजार एक सौ बासठ मात्र) **(प्रभागवार मांग की गयी धनराशि की संलग्न तालिका के अनुसार)** कैम्पा, नई दिल्ली में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि, एन0पी0वी0 की धनराशि का विवरण, पारेषण लाइन के नीचे बौने पौधों के वृक्षारोपण एवं पैनल्टी हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार प्रर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0–8बी/ यू0पी0/04/99/2016/एफ0सी0/570 दि0 21–03–2017 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की निम्न बिन्दुओ/शर्तों के अनुसार अनुपालन आख्या अथवा निर्देशानुसार वांछित सूचना /अभिलेख यथाशीघ्र 05 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(1) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि **"यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।"**

(2) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय का वचन वद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि **"विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।"**

(3) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय का वचन वद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि **"प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।"**

उक्त प्रकरण में पारेषण लाइन निर्माण के अन्तर्गत जनपद अलीगढ, हाथरस एवं एटा वन प्रभाग में बाधक वृक्षो का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं0	जनपद	वृक्षों की सं0 (गर्त > 30 से0मी0)	पौधों की सं0 (गर्त < 30 से0मी0)
1	अलीगढ	02	0
2	हाथरस	80	0
3	एटा	1	0

छपानः– बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि ***(प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–प–105/16–57 (लाट) दि0 23–9–2014 के बिन्दु सं0–2 में हुए संशोधन के अनुसार) निम्न प्रकार धनराशि का बैंक ड्राफ्ट तैयार कर, सम्बन्धित वन प्रभाग में जमा कराने का कष्ट करें।***

क्रम सं0	जनपद	मांग की गयी धनराशि	प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी जिसके नाम बैंक ड्राफ्ट देय होगा।
1	अलीगढ	20	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
2	हाथरस	800	प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस
3	एटा	30	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पत्रांक–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक 02–02–2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (सरंक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नही की जायेगी। जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नही किये जाते है।

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें ताकि शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। परिपालन आख्या के उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

14/10/22

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक (1)/ दिनांकित।

1– प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को विषयक क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।
2– प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– प्रतिलिपिः– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

साउथ–ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 द्वारा 400 के0वी0 डबल सर्किट मैनपुरी–अलीगढ़ द्विपथ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष पातन, अलीगढ़ में 1.8354 हे0 आरक्षित व 0.0276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन कुल 3.177404 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में इंगित विभिन्न शर्तों के अनुपालन में जमा की जाने वाली धनराशि का समेकित विवरण

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	प्रभावित क्षेत्रफल (हे0 में)	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वांछित धनराशि (रूपये में)	बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण हेतु वांछित धनराशि (रूपये में)	एन0पी0वी0 हेतु वांछित धनराशि (रूपये में)	दण्डात्मक एन0पी0वी0 हेतु वांछित धनराशि (रूपये में)	कुल योग (रूपये में)
1	सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़	1.863	10,32,900	13,40,260	11,66,238	4,66,495	40,05,893
2	हाथरस वन प्रभाग, हाथरस	0.8544	10,15,300	16,39,000	5,34,855	2,13,942	34,03,097
3	सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा	0.46	6,51,200	11,36,400	3,36,812	1,34,725	22,59,137
योग–		3.177404	26,99,400	41,15,660	20,37,905	8,15,162	96,68,127

14/10/22

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रांक 755/14–1 दिनांक, एटा अगस्त 12 2022

सेवा में,

जनरल मैनेजर
साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0,
ऑफिस नं0 116, प्रथम तल,
लेवाना साइबर हाइटस,
इन्द्रा गांधी प्रतिष्ठान के पीछे,
विभूति खण्ड, लखनऊ–226010।

विषयः–साउथ–ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 द्वारा 400 के0वी0 डबल सर्किट मैनपुरी–अलीगढ़ द्विपथ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष पातन, अलीगढ़ में 1.8354 हे0 आरक्षित व 0.0276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन कुल 3.177404 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/04–99/2016/एफ0सी0 /497 दिनांक 14.09.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 1005/मैनपुरी–अलीगढ़ लाइन (समेकित)/13285/2015 दिनांक 16.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों के अनुपालन हेतु निम्न प्रकार धनराशि जमा करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एटा वन प्रभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि 0.46 है0 के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात 0.92 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0– 651200/– (रूपये– छः लाख इक्यावन हजार दो सौ मात्र) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाइन के नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रोपण के रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0– 1136400/–(रूपये– ग्यारह लाख छत्तीस हजार चार सौ) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार (वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि

– रू0 336812/–(रूपये– तीन लाख छत्तीस हजार आठ सौ बारह मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु सं0 के अनुसार आगणित धनराशि रू0 134725/– (रूपये– एक लाख चौतीस हजार सात सौ पच्चीस मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5. इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि, एन0पी0वी0 की धनराशि का विवरण, पारेषण लाइन के नीचे बौने पौधों के वृक्षारोपण एवं पैनल्टी हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0– 8बी/यू0पी004/99/2016/एफ0सी0/570 दि0 21.03.2017 द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति की निम्न बिन्दुओं / शर्तों के अनुसार अनुपालन आख्या अथवा निर्देशानुसार वांछित सूचना / अभिलेख यथाशीघ्र 05 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(1) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि ''यदि एन0पी0वी0 की दरों मं बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।''

(2) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि ''विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (foreward bearing) एवं पीछे (backward bearing) एवं उनकी दिशा भी लिखनी होगी।''

(3) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि ''प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।''

उक्त प्रकरण में पारेषण लाइन निर्माण के अन्तर्गत जनपद हाथरस में बाधक वृक्षों के पातन की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्षों / पौधों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0	जनपद	वृक्षों की संख्या	पौधों की संख्या
1	एटा	1	0

छपानः– बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि **(प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–प–105/16–57 (लाट) दि0 23.09.2014 के बिन्दु सं0–2 में हुए यथासंशोधन के अनुसार रू0 10/– प्रति वृक्षा के आधार पर) 1 वृक्ष** दर **30/– रू0 प्रति वृक्ष) रू0 30/–** का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा के नाम देय हो प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या संदर्भित पत्र के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को बिना भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं कर दिए जाते हैं।

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तों को अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें ताकि शर्तों के परिपूर्ण होने एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

पत्रांक 7 **(1)/14–1** **दिनांकित।**

1. प्रतिलिपि:– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को विषयक क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि:– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ (नोडल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग हाथरस।

Mandu Road Sokhna near R.T.O Office, Hathras- E-mail- dfohathras @gmail.com

पत्रांक 1019/14–1 दिनांकः हाथरस, ~~सितम्बर~~, 1-10-,2022

सेवा में,

जनरल मैनेजर,
साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0,
ऑफिस नं0 116, प्रथम तल,
लेवाना साइबर हाइटस,
इन्द्रा गांधी प्रतिष्ठान के पीछे,
बिभूति खण्ड, लखनऊ–226010।

विषयः– साउथ–ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 द्वारा 400 के0वी0 डबल सर्किट मैनपुरी–अलीगढ़ द्विपथ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष पातन, अलीगढ़ में 1.8354 हे0 आरक्षित व 0.0276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन कुल 3.177404 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/04–99/2016/एफ0सी0/497 दिनांक 14.09.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 1005/मैनपुरी–अलीगढ़ लाइन (समेकित)/13285/2015 दिनांक 16.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों के अनुपालन हेतु निम्न प्रकार धनराशि जमा करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (3.177404X 2= 6.354808 है0) अर्थात् 6.354808 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (इस प्रभाग की दुगने अवनत वन भूमि अर्थात् **1.7088 है0** भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण की धनराशि रू0– 1015300/–(रूपये– दस लाख पन्द्रह हजार तीन सौ मात्र) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाइन के नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0– 1639000/–(रूपये– सौलह लाख उन्तालीस हजार मात्र) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि (इस प्रभाग की एन0पी0वी0 की धनराशि – 0.8544×626000 = रू0 534855/–(रुपये– पॉच लाख चौतीस हजार आठ सौ पचपन मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No.11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु सं0 C(ii) के अनुसार आगणित धनराशि रु0 213942/– (रुपये– चार लाख छियासठ हजार चार सौ पिच्यानवे मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमे जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि, एन0पी0वी0 की धनराशि का विवरण, पारेषण लाइन के नीचे बौने पौधों के वृक्षारोपण एवं पैनल्टी हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार प्रर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0–8वी/यू0पी0/04/99/2016/एफ0सी0/570 दि0 21–03–2017 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की निम्न बिन्दुओ/शर्तों के अनुसार अनुपालन आख्या अथवा निर्देशानुसार वांछित सूचना /अभिलेख यथाशीघ्र 05 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(1) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि **"यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।"**

(2) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय का वचन वद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि **"विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।"**

(3) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय का वचन वद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि **"प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।"**

उक्त प्रकरण में पारेषण लाइन निर्माण के अन्तर्गत जनपद हाथरस में बाधक वृक्षो के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्षों/पौधों का विवरण निम्नानुसार है।

कम सं0	जनपद	वृक्षों की सं0 (गर्त > 30 से0मी0)	पौधों की सं0 (गर्त < 30 से0मी0)
1	हाथरस	80	0

छपानः– बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि ***(प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–प–105/16–57 (लाट) दि0 23–9–2014 के बिन्दु सं0–2 में हुए संशोधन के अनुसार रू0 10/– प्रति वृक्ष के आधार पर) 80 वृक्ष दर 10/– रू0 प्रति वृक्ष)*** रू0 800/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस के नाम देय हो प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पत्रांक–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक 02–02–2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (सरंक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नही की जायेगी। जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नही किये जाते है।

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें ताकि शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(डा0 चंद्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक (1)/14–1 दिनांकित।

1– प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को विषयक कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

2– प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– પ્રતિલિપિ– પ્રભાગીય નિદેશક સામાજીક વાનિકી પ્રભાગ અલીગઢ કો સૂચનાર્થ એવ આવશ્યક કાર્યવાહી હેતુ પ્રેષિત

(डा0 चंद्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।